



**कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता**  
**शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)**



E-mail - dean-gmcsahdol@mp.gov.in ,  
Website - WWW.GMCSHAHDOL.ORG,

Office No. :- 07652-243000  
Fax No. :- 07652 - 243222

कमांक/३५४०/स्था./एम.सी./२०२२

शहडोल, दिनांक 12.11.2022

**विज्ञप्ति सूचना**

Research & Evaluation, National AIDS Control Organization, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India द्वारा प्राप्त स्वीकृति/अनुमति उपरांत बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शहडोल अंतर्गत "Turnaround time from first HIV testing to start of Antiretroviral treatment and perceived challenges of the National AIDS Control Programme in a tribal dominant district of Madhya Pradesh" कार्य हेतु Project Technician II के 02 पदों पर अस्थायी नियुक्ति प्रथमतः 07 माह के लिए निश्चित मासिक मानदेय पर निम्नलिखित शर्तों के आधीन की जानी है। जिस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 25.11.2022, दिन - शुक्रवार, सायं 05 बजे तक आमंत्रित किये जाते है :-

**❖ पदों का विवरण :-**

स.क्र.	पद का नाम	पद संख्या	श्रेणी
1	Project Technician II	02	सामान्य

**❖ पदों की शैक्षणिक योग्यता एवं मासिक मानदेय :-**

S.No.	Name of Post	Essential Qualification	Desirable Qualification and Experience	Emoluments	Age limit
1	Project Technician	Graduation in Science Subject or equivalent with 1 year relevant experience from a recognized centre	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preference for MBBS/BDS/BAMS/BHMS Candidates.</li><li>• Knowledge of Computer Applications</li><li>• Experience in Clinical data collection</li><li>• Experience of working in Public Health/Medical Research Projects</li></ul>	17000/- per month (Consolidated)	30 years

**Nature of Duties:-**

S.No.	Name of Post	Desirable Qualification and Experience	Duration
1	Project Technician	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Field Visit to the ICTC/FICTCs of Shahdol, Anuppur, Umaria, Dindori, &amp; Mandla districts.</li><li>❖ Field Visit to the ART Centers Jabalpur &amp; Rewa.</li><li>❖ Data collection, clinical case record maintenance.</li><li>❖ Coordinate with the ICMR for periodic and timely sending of CRFs, data and reports.</li><li>❖ Assisting the Site Investigators in research activities relating to the project.</li><li>❖ Any other duty assigned by the PI/Co-PI/ supervisory officer from time to time</li></ul>	7 Months

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	:-	दिनांक 25.11.2022, दिन - शुक्रवार
समय	:-	सायं 05 बजे तक
स्थान	:-	कार्यालय अधिष्ठाता, बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)
साक्षात्कार अथवा परीक्षा की तिथि	:-	पृथक से महाविद्यालय की अधिक वेबसाइट WWW.GMCSHAHDOL.ORG एवं नोटिस बोर्ड के माध्यम से प्रसारित की जावेगी।


#### सेवा की शर्तें :-

1. यह सेवार्यें पूर्ण रूप से अस्थायी हैं एवं National AIDS Control Programme Ministry of Health & Family Welfare Government of India द्वारा अस्थायी रूप से सेवार्यें लिए जाने हेतु प्रदान की गई स्वीकृति/अनुमति के आधार पर ली जा रही हैं। अतः इन सेवार्यों को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिए किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जावेगा।
2. अभ्यर्थियों के आयु (Age limit) की गणना दिनांक 31.12.2022 के अनुसार की जावेगी।
3. म.प्र. शासन द्वारा समस्त श्रेणियों में प्रदान की जाने वाले आयु सीमा की छूट का पालन किया जावेगा।
4. ICMR द्वारा स्वीकृत रिसर्च प्रोजेक्ट में कार्य कर चुके अभ्यर्थियों को आयु सीमा में नियमानुसार अतिरिक्त छूट प्रदान की जावेगी।
5. उपरोक्त अस्थायी नियुक्ति बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शहडोल के अंतर्गत प्रथमतः 07 माह के लिए तक ली जा रही हैं। NACP से पृथक से प्राप्त स्वीकृति/अनुमति के आधार पर उक्त अवधि घटाई-बढ़ाई जा सकती है।
6. अंतिम तिथि तक प्राप्त होने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र के सूक्ष्म परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची तथा पात्र अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों के परीक्षण एवं सत्यापन की तिथि तथा नियुक्ति हेतु साक्षात्कार/मौखिक अथवा लिखित परीक्षा संबंधी सूचना महाविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी।
7. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. नियुक्ति संबंधी जानकारी अथवा सूचना बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की अधिकृत वेबसाइट WWW.GMCSHAHDOL.ORG के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी। अतः समय-समय पर वेबसाइट का अवलोकन करें।
9. चयनित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का आवास या छात्रावास महाविद्यालय द्वारा प्रदान नहीं किया जावेगा।
10. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी आर्हता की जांच स्वयं कर लें और आर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर अथवा उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।
11. आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच लंबित न होने संबंधित शपथ पत्र स्वयं के दाय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. चयनित चिकित्सक को किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी।
13. सभी विवाद माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के क्षेत्राधिकार के आधीन होंगे।

14. चयनित अभ्यर्थियों को अपने निवास क्षेत्र के थाने/कोतवाली प्रभारी से पुलिस सत्यापन करवाकर कार्यालय में 07 कार्य दिवस के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा।
15. चयनित अभ्यर्थी को आवश्यकतानुसार किसी भी स्थान पर पदस्थ किया जा सकता है।
16. कार्य एवं व्यवहार के संबंध में मुख्य अन्वेषणकर्ता या सह अन्वेषणकर्ता अधिकारी के प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने के उपरांत संबंधित का नियुक्ति आदेश बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा एवं संबंधित अभ्यर्थी को पुनः नियुक्ति हेतु आवेदन करने का अधिकार नहीं होगा।
17. उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी मुख्य अन्वेषणकर्ता (डॉ. आकाश रंजन सिंह, सहायक प्राध्यापक, कम्प्युनिटी मेडिसिन विभाग) या सह अन्वेषणकर्ता अधिकारी बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल होंगे।
18. उम्मीदवार के चयन के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल द्वारा लिया गया अंतिम निर्णय ही सर्वमान्य होगा।

**निरहतायें :-**

- विकृत चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा :- किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा।
- विवाह संबंधी : जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा, उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार, जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- जिस आवेदक की 02 से अधिक संतान हो एवं जिसमें से तीसरी संतान का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उससे पश्चात हुआ हो, तो ऐसे उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। (दो या दो से कम संतान वाले आवेदक को शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- कदाचरण संबंधी :- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो, यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- स्वास्थ्य संबंधी :- मानसिक रूप से स्वस्थ न होने पर किसी भी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा जब तक कि वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात अच्छी तरह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाये, तथा वह ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करें। चिकित्सकीय परीक्षण में अयोग्य पाए जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकता है।

  
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
 शहडोल (म.प्र.)